

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-71/2019-20

इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी०एस०सिटी, बोकारो

बनाम्

M/S R K Enterprises

—: आदेश :-

23.12.2020

प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी०एस०सिटी बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी 1. **M/S R.K. Enterprise** प्र० रंजीत कुमार पिता देवनन्दन यादव 2. देवनन्दन यादव पिता स्व० मंगर यादव सा०-यादुवंश नगर, चास, बोकारो 3. प्रदीप कुमार पिता रामधनी प्रसाद सेक्टर-9/डी०, क्वा०सं०-1729, 'A' Road, बी०एस०सिटी बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी०एस०सिटी, बोकारो की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Khata No. 413 Plot no. 7058 Mouza-Chas (30) Thana Chas, Anchal- Chas Bokaro, Area-03 dec. land & Basement with G.F Residential Building pertaining to Regd. Sale deed no. 1608 dated 17-03-1994 executed in favour of Sri Deo Nandan Yadav at DSR Bokaro.) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 35,00,000.00 (पैंतीस लाख) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-25.09.2019 को ही एन०पी०ए० हो गया है। वर्तमान में ऋणकर्ता पर कुल रूपये 36,75,900/- एवं ब्याज के साथ अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT-2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की


सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।


विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि उन्होंने व्यवसाय हेतु ऋण लिया था किन्तु उनका व्यवसाय ठीक से नहीं चला, जिसके कारण वह ऋण की राशि को समय पर नहीं लौटा पाये और उनका खाता एन0पी0ए0 हो गया। वर्तमान में विपक्षी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपना ऋण खाता को समझौता के तहत ऋण की राशि जमा कर समाप्त करना चाहते हैं। जिसके लिए उन्होंने कुछ और समय की माँग की है।

दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संघारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि द्वितीय पक्ष (ऋणकर्ता) समझौता के तहत ऋण चुकाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कुछ और समय की माँग की है। ऐसे में उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें ऋण चुकाने के लिए एक अंतिम अवसर के रूप में माह जनवरी-2021 तक का समय आदेश निर्गत की तिथि से दिया जाता है। उक्त अवधि में यदि ऋणकर्ता, ऋण चुकाने में असफल होते हैं तो SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।